"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 जून 2023 — ज्येष्ठ 16, शक 1945

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04–06/2021/32.— छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020 (क्र. 7 सन् 2020) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–05–88/2014/32, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्लास्टिक, थर्मोकोल आदि, जो कि जीव अनाशित अपशिष्ट सृजित करते है, से बने उत्पादों के उपयोग, निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण और वितरण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव–अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2023 कहलायेंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव–अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020 (क्र. 7 सन् 2020);

   (ख) **''वस्तु''** से अभिप्रेत है मूर्त वस्तुएं, जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है और इसमें सभी बिक्री योग्य माल या सामग्री शामिल हैं;

   (ग) **''कम्पोस्टेबल प्लास्टिक''** से अभिप्रेत है ऐसा प्लास्टिक, जो कि, पर्यावरणीय पेट्रो–आधारित प्लास्टिक को छोड़कर, कम्पोस्टिंग के दौरान यील्ड कार्बन डाइ आक्साइड, पानी, अकार्बनिक यौगिकों और बायोमास, अन्य ज्ञात खाद सामग्रियों के साथ मिलकर एक अनुपात में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा क्षरण से गुजरती है और जो कि दृश्यवत, पृथक करने योग्य अथवा विषाक्त अवशेष नहीं छोड़ती है और जो कि समय–समय पर यथा संशोधित, भारतीय मानक; आईएस17088:2008 शीर्षक कम्पोस्टेबल प्लास्टिक का निर्दिष्टीकरण की पुष्टि करेगा;

   (घ) **''थर्मोकोल से बनी वस्तुएं''** से अभिप्रेत है थर्मोकोल से बना कोई वस्तु या उत्पाद;

   (ड.) **''प्ररूप''** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) **''मल्टी–लेयर्ड पैकेजिंग''** से अभिप्रेत है ऐसी कोई भी सामग्री, जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता हो या किया जायेगा और जिसमें प्लास्टिक की कम से कम एक परत हो, जो कि कागज, पेपरबोर्ड, पॉलीमेरिक सामग्री, धातु की परतों या एल्यूमीनियम पन्नी, या तो फाड़े हुए या बाहर निकले हुए बनावट, जैसी सामग्री की एक या एक से अधिक परतों के संयोजन में मुख्य घटक के रूप में हो;

(छ) **''प्लास्टिक''** से अभिप्रेत है ऐसी सामग्री, जिसमें एक आवश्यक तत्व के रूप में एक हाई पॉलिमर जैसे कि पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट, हाई डेन्सीटी पॉलीथीलीन, विनाइल, लो–डेन्सीटी पॉलीथीलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरिन रेजिन, पॉली स्टाइरिन (थर्माकोल), नॉन–ओवन पॉलीप्रोपाइलीन, मल्टी लेयर्ड को–एक्सट्रूडर, पॉली प्रोपलीन, पॉली टेरेफ्थेलेट, पॉली एमाइड्स, पॉली मिथाइल मेथैक्रीलेट, प्लास्टिक माइक्रो बीड्स आदि होता है;

(ज) **''प्लास्टिक शीट्स''** से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बनी शीट;

(झ) **''प्लास्टिक अपशिष्ट''** से अभिप्रेत है उपयोग के पश्चात् या उसका आशयित उपयोग करने के पश्चात् छोड़ दिया गया कोई प्लास्टिक;

(ञ) **''निर्माता/विनिर्माता''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो प्लास्टिक की थैलियों या मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग या कंटेनरों या प्लास्टिक शीटों या इस तरह के अन्य सामग्रियों के निर्माण या आयात में लगा हुआ हो और इसमें प्लास्टिक शीट या इस तरह के अन्य सामग्रियों का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति या प्लास्टिक शीट या शीट से बने कवर या प्लास्टिक से बने उत्पाद या वस्तुओं के पैकेजिंग या व्रेपिंग के लिए प्लास्टिक का उपयोग भी शामिल है;

(ट) **''प्लास्टिक बैग्स''** से अभिप्रेत है प्लास्टिक की सामग्री या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री से बने बैग, जिसका उपयोग हैंडल के साथ या हैंडल के बिना, सामग्रियों को ले जाने या वितरित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है और इसमें नॉन–ओवन पॉलीप्रोपाइलीन से बने बैग और जो विनिर्माण स्तर पर पैकेजिंग के एक अभिन्न भाग के रूप में होते हैं या जो विनिर्माण का एक अभिन्न भाग होते हैं, भी शामिल हैं;

(ठ) **''पीईटी और पीईटीई बोतलें''** से अभिप्रेत है पॉलीथीलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) और पॉलीथीलीन टेरेफ्थेलेट एस्टर्स (पीईटीई) से बनी बोतलें, जिसका उपयोग तरल या अर्द्ध तरल खाद्य, जिसमें पानी भी शामिल है, के पैकेजिंग या रखने के लिए किया जाता है;

(ड) **''उत्पाद''** से अभिप्रेत है प्लास्टिक या थर्मोकोल से बनी कोई चीज या वस्तु या सामग्री;

(ढ़) **''प्लास्टिक की एक परत का उपयोग करते हुए पेपर–आधारित कार्टन पैकेजिंग''** से अभिप्रेत है तरल और ठोस खाद्य और पेय पदार्थ (जैसे दूध, जूस आदि) के लिए एक कंटेनर, जहां प्राथमिक घटक सामग्री पेपरबोर्ड है और जिसमें प्लास्टिक पन्नी की एक या एक से अधिक परत हो सकती है, जो सुरक्षित और स्वच्छ उपयोग हेतु अपेक्षित है;

(ण) **''पुनर्चक्रण''** से अभिप्रेत है एक नए उत्पाद के उत्पादन के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को एक नए उत्पाद या कच्चे सामग्री में बदलने की प्रक्रिया।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम के अधीन क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं ।

3. **प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध.**– राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में निम्नलिखित वस्तुओं/गतिविधियों पर प्रतिबंध है, अर्थात् :–

(क) हैंडल के साथ या हैंडल के बिना, प्लास्टिक बैग का निर्माण, उपयोग, परिवहन, वितरण, थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण और आयात;

(ख) प्लास्टिक और थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन) से विनिर्मित डिस्पोजेबल उत्पाद जैसे एकल उपयोग डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट, गिलास, कांटा, कटोरा, कंटेनर, होटल में भोजन पैकिंग के लिए प्रयुक्त डिस्पोजेबल डिश/कटोरा, चम्मच, पुआल, नॉन–ओवन पॉलीप्रोपाइलीन बैग, तरल चीजों को रखने का कप/पाउच, उत्पाद को लपेटने या रखने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग, खाद्य पदार्थ एवं खाद्यान्न सामग्री आदि की प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी निर्माण, उपयोग, परिवहन, वितरण, थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण और आयात;

(ग) प्लास्टिक के झंडे सहित सजावट के उद्देश्य से प्लास्टिक और थर्मोकोल का उपयोग;

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक के पाउच का उपयोग; तथा

(ड.) अल्प–जीवन पीवीसी और क्लोरीनेटेड प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन और प्रचार सामग्री जैसे फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर, फोम बोर्ड आदि का उपयोग।

4. **पीईटी और पीईटीई बोतलों पर प्रतिबंध.**– कोई भी व्यक्ति पीईटी या पीईटीई बोतलों का उपयोग, बिक्री, भंडारण या निर्माण तब तक नहीं करेगा, जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न करता हो, अर्थात्:–

(क) पीईटी या पीईटीई बोतलें, जो उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य श्रेणीकृत शुद्ध बीसफेनल–फ्री सामग्री से बनी हो;

(ख) पीईटी या पीईटीई की बोतल में, उस पर पूर्व–निर्धारित बाय–बैक प्राईज मुद्रित किया गया हो;

(ग) पीईटी या पीईटीई बोतल निर्माताओं, उत्पादनकर्ताओं, विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा, ऐसे पीईटी या पीईटीई बोतल पर विशेष रूप से मुद्रित पूर्व निर्धारित बाय–बैक प्राईज के साथ विस्तारित उत्पादनकर्ताओं एवं विक्रेताओं/व्यापारियों का उत्तरदायित्व के अन्तर्गत ''बाय–बैक डिपोजिटरी तंत्र'' विकसित किया गया हो तथा मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, दुकान, पर्यटक स्थल, फोर्ट, सार्वजनिक स्थान सहित महत्वपूर्ण जगहों पर इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 3 (तीन) माह के भीतर ऐसे पीईटी या पीईटीई बोतलों के संग्रहण एवं पुनर्चक्रण के लिए पुनर्चक्रण यूनिट के साथ स्थापित अनुबंधन सहित संग्रहण केन्द्रों, रिवर्स वेंडिग मशीनों, क्रसिंग मशीनों की स्थापना की गई हो;

(घ) व्यापारी/विक्रेता द्वारा इस तरह की बोतलों पर मुद्रित पूर्व निर्धारित बाय–बैक प्राईज के साथ ऐसे प्रयुक्त पीईटी/पाईटीई बोतलों के बाय–बैक सुनिश्चित हो;

(ड.) 1 (एक) लीटर या उससे अधिक की लिक्विड होल्डिंग क्षमता वाले पीने के पानी के पीईटी या पीईटीई बोतलों पर निर्माता द्वारा नियत किए गए अनुसार बाय–बैक प्राईस या रू. 1 के डिपॉजिट और रिफंड प्राईस मुद्रित की जाएगी। 1 (एक) लीटर से कम किन्तु 200 मिलीलीटर से अधिक की लिक्विड होल्डिंग क्षमता वाले पीने के पानी के पीईटी या पीईटीई बोतलों पर निर्माता द्वारा नियत किए गए अनुसार बाय–बैक प्राईस या रू. 2 के डिपॉजिट और रिफंड प्राईस मुद्रित की जाएगी।

इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 200 मिलीलीटर से कम लिक्विड होल्डिंग क्षमता वाली पीने की पानी की पीईटी या पीईटीई बोतलों का उपयोग, बिक्री, भंडारण और निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिबंधित है;

(च) होटल, शादी/पार्टी हॉल, आउटडोर इवेंट लोकेशन, कार्यालय/संस्थान जैसे पीईटी बोतलों के थोक उपभोक्ता, प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रह के लिए स्थल प्रदान करेंगे;

(छ) पीईटी बोतल उद्योग यह सुनिश्चित करेंगे कि पीईटी या पीईटीई बोतलें, खुदरा विक्रेताओं से डिपॉजिटरी और रिफंड दर या बाय–बैक दर पर एकत्र की गई हैं और पुनर्चक्रण की जा रही हैं।

5. प्लास्टिक की एक परत का उपयोग करते हुए पुनर्चक्रणयोग्य मल्टी–लेयर पैकेजिंग और कागज–आधारित कार्टन पैकेजिंग सामग्री.–

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 18 मार्च 2016 को जारी किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार गैर–पुनर्चक्रण योग्य मल्टी–लेयर्ड प्लास्टिक, यदि कोई हो, का निर्माण और उपयोग, दो वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। चूंकि, दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए, निर्माताओं द्वारा गैर–पुनर्चक्रण योग्य मल्टी–लेयर्ड प्लास्टिक का उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।

(ख) पुनर्चक्रण योग्य ''मल्टी–लेयर पैकेजिंग'' एवं ''प्लास्टिक के एक परत का उपयोग करते हुए कागज–आधारित कार्टन पैकेजिंग सामग्री के निर्माता/ब्राण्ड के मालिक/उत्पादनकर्ता /विनिर्माताओं का संघ, अपने विस्तारित उत्पादनकर्ताओं की जवाबदेही (ईपीआर) योजना, जिसमें स्थापित उत्पादनकर्ताओं की जवाबदेही संगठन (पीआरओ) द्वारा अपने स्वयं के स्थापित पुनर्चक्रण संयंत्र अथवा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण और उसके पश्चातवर्ती पुनर्चक्रण एवं अंतिम निस्तारण के लिए विद्यमान राग पीकर्स/स्क्रैप ट्रेडर, रिटेलर के साथ समन्वय/सहयोग शामिल है, को तत्परतापूर्वक कियान्वित करेंगे, जो कि संग्रहण से लेकर अंतिम निस्तारण तक 100% अविभाज्य प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ग) 'मल्टी–लेयर पैकेजिंग' एवं 'प्लास्टिक के एक परत का उपयोग करते हुए कागज–आधारित कार्टन पैकेजिंग सामग्री' के निर्माता/ब्राण्ड के मालिक/उत्पादनकर्ता के विस्तारित उत्पादनकर्ताओं की जवाबदेही (ईपीआर) योजना की समीक्षा, इन नियमों के जारी होने की तारीख से 3 (तीन) माह के पश्चात् की जाएगी तथा समीक्षा के निष्कर्ष के आधार पर, विनियमन के लिए आगे का निर्णय लिया जाएगा।

6. प्रयोज्यता.– इन नियमों के अधीन अधिरोपित निर्बंधन (प्रतिबंध), छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों की निकाय, सरकारी और गैर–सरकारी संगठन, मालिकों, अधिभोगियों, शैक्षिक संस्थान, खेल परिसर, क्लब, सिनेमा हॉल और थिएटर, शादी/उत्सव हॉल, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक संस्थानों, कार्यालयों, तीर्थयात्रा आयोजकों, तीर्थयात्राओं और धार्मिक स्थलों, होटलों, ढाबों, दुकानदारों, मॉलों, वेंडरों या विक्रेताओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों, व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडरों, विनिर्माताओं, कैटरर, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, स्टॉकिस्ट, व्यापारियों, फेरीवालों, सेल्समैन, ट्रांसपोर्टर्स, मार्केट, उत्पादनकर्ताओं, स्टॉलों, पर्यटन स्थलों, वन एवं आरक्षित वन, खदान (माइंस), इको–सेंसिटिव क्षेत्रों, सभी सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर प्रयोज्य होंगे।

7. **प्रतिबंध से छूट**.– उपरोक्त नियम 3, 4 और 5 के अधीन अधिरोपित निर्बंधन (प्रतिबंध) निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्:–

(एक) प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक, जिसका उपयोग दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है;

(दो) कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग या सामग्री, जिसका उपयोग फूल–पौध नर्सरी, बागवानी, कृषि, ठोस अपशिष्ट के हथालन के लिए किया जाता है । तथापि, इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग/शीट में, ''केवल इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपयोग करें'' का उस पर प्रमुखता से मुद्रण किया जाएगा तथा कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता, इस उद्देश्य के लिए खपत या विक्रय के पूर्व, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेंगे;

(तीन) थर्मोकोल से बनी वस्तुएं, जिनका केवल निर्माण गतिविधियों में निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है;

(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात उन्मुख इकाइयों आदि में निर्यात के उद्देश्य से प्लास्टिक और प्लास्टिक बैग का विनिर्माण;

(पांच) बबल प्लास्टिक सामग्री, जिसका उपयोग विनिर्माण स्तर पर सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है या विनिर्माण का एक अभिन्न अंग है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, अर्थात्:–

(क) बबल प्लास्टिक सामग्री, न्यूनतम 20% पुनर्चक्रण प्लास्टिक सामग्री से बना होगा;

(ख) बबल पैकेजिंग सामग्री पर निर्माता के विवरण, प्लास्टिक के प्रकार सहित कोड संख्या और बाय–बैक प्राईस मुद्रित किया जाएगा;

(ग) पैकेजिंग के लिए बबल प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले विनिर्माता/विनिर्माता संघ, एक साथ कार्य करेंगे और एक बाय–बैक तंत्र सृजित करेंगे और तत्परता से अपने विस्तारित निर्माता की जवाबदेही (ईपीआर) योजना, जिसमें स्थापित उत्पादनकर्ताओं की जवाबदेही संघ (पीआरओ) द्वारा अपने स्वयं के स्थापित पुनर्चक्रण संयंत्र अथवा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से बबल प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण और उसके पश्चातवर्ती पुनर्चक्रण एवं अंतिम निस्तारण के लिए विद्यमान राग पीकर्स/स्क्रैप ट्रेडर, रिटेलर के साथ समन्वय/सहयोग शामिल है, को तत्परतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे, जो कि संग्रहण से लेकर अंतिम निस्तारण तक 100% अविभाज्य बबल प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(छः) दूध की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त खाद्य श्रेणीकृत शुद्ध प्लास्टिक बैग, जो कि 50 माइक्रोन मोटाई से कम का न हो, बशर्ते निम्नलिखित शर्त पूरी करते हों, अर्थात् :–

(क) बाय–बैक प्राईस (जो रु.0.50 से कम नहीं होनी चाहिए), ऐसे दूध के प्लास्टिक बैग पर स्पष्ट रूप से मुद्रित हो;

(ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर संबंधित दूध डेयरियों, खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा ऐसे उपयोग किए गए बैग के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए उचित तंत्र स्थापित किया गया हो। तथापि, दूध वितरण के लिए दूध की डेयरियों और वितरकों द्वारा कांच की बोतल की वैकल्पिक व्यवस्था और किसी अन्य पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री विकसित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे;

(ग) दूध की डेयरियां, खुदरा विक्रेता और व्यापारी, ऐसे प्रयुक्त दूध के बैग में उस पर पूर्व निर्धारित मुद्रित बाय–बैक प्राईस पर बाय–बैक करेंगे।

(सात) किराने और अनाज उत्पादों के थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को सीलबंद प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री में किराने का सामान और अनाज उत्पादों को बेचने की अनुमति है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, अर्थात्:–

(क) प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री, 2 ग्राम के न्यूनतम वजन के साथ 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई की होगी तथा पैकेजिंग सामग्री में निर्माता के विवरण, प्लास्टिक के प्रकार सहित कोड संख्या और बाय–बैक प्राईज मुद्रित किया जाएगा;

(ख) खुदरा पैकेजिंग सामग्री और खुदरा विक्रेता संघों के लिए विनिर्माण संघ, प्लास्टिक के संग्रह के लिए एक बाय–बैक तंत्र के माध्यम से एक तंत्र सृजित करने और एकत्रित प्लास्टिक सामग्री के पुनर्चक्रण और अंतिम निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे;

(ग) इन नियमों के जारी होने की तारीख से 3 (तीन) महीने की कालावधि के भीतर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उपयोग और बिक्री के लिए उपरोक्त नियम (सात) (क) और (ख) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा;

(घ) विनिर्माता, इन नियमों के जारी होने की तारीख से नियम (सात) (क) और (ख) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे;

(ड.) ई–कॉमर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में बिक्री के लिए आशयित उत्पादों के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री, केवल 3 (तीन) महीनों के लिए अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, वे 3 (तीन) महिनों के भीतर सामग्रियों की पैकेजिंग के लिए पर्यावरणीय–अनुकूल विकल्प विकसित करेंगे। वे 3 (तीन) महीनों के दौरान प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के संग्रह के लिए एक तंत्र सृजित करेंगे और पुनर्चक्रण एवं अंतिम निपटान सुनिश्चित करेंगे।

8. **सक्षम प्राधिकारी/अभिहित अधिकारी**.– निम्नलिखित अधिकारी, अपने क्षेत्राधिकार में, इन नियमों के प्रवर्तन के लिए और छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020 (क्र. 7 सन् 2020) की धारा 8 (हटाना), धारा 9 (तलाशी और जप्ती) और धारा 13 (प्रशमन) के अधीन यथा विहित कार्यवाही करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत और सशक्त हैं, अर्थात्:–

(क) नगरपालिक आयुक्त, नगरपालिक उपायुक्त, दुकान और स्थापना अधिकारी एवं निरीक्षक, सेनेटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी, वार्ड अधिकारी या नगरपालिक आयुक्त द्वारा नामांकित किसी भी अन्य अधिकारी के साथ साथ सभी नगरपालिक परिषदों के मुख्य अधिकारी और मुख्य अधिकारी द्वारा नामांकित कोई अन्य अधिकारी, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में, उक्त नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं;

(ख) जिला कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित कोई अन्य अधिकारी, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में, उक्त नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद्, विकास खंड अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और ग्राम सेवक अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में, उक्त नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं;

(घ) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी और प्रथम–श्रेणी और द्वितीय–श्रेणी के वैज्ञानिकों, रसायनज्ञों और अभियंताओं;

(ड.) संयुक्त सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

(च) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं; उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी;

(छ) संचालक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड;

(ज) पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप–निरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, यातायात पुलिस, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड या प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(झ) उपायुक्त (आपूर्ति), जिला आपूर्ति अधिकारी;

(ञ) आयुक्त राज्य कर और सभी राज्य कर अधिकारी;

(ट) सभी जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग;

(ठ) फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर या उप वन संरक्षक द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(ड) रेलवे और हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा नामांकित कोई भी अधिकारी।

9. **अपराध का पंजीकरण**.–(क) इन नियमों को लागू करने के लिए, गाँव या शहर स्तर पर व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति, लोगों का समूह, कल्याणकारी संगठन, औद्योगिक संघ और सभी स्थानीय निकायों के सदस्य आदि इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में अधिसूचित, संबंधित सक्षम प्राधिकारी/अभिहित अधिकारियों के पास कोई भी अपराध दर्ज करा सकेंगे;

(ख) उक्त पंजीकृत व्यक्ति, लोगों का समूह, कल्याणकारी संगठन और औद्योगिक संघ, इन नियमों के अधीन अधिकृत अधिकारियों की सहायता करेंगे, ताकि इन नियमों के उल्लंघन की जानकारी प्रदान की जा सके और ऐसे अधिकारियों को जुर्माना अधिरोपित करने, प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी सामग्री को जप्त करने और अपराध दर्ज करने में सहायता मिल सके।

10. **छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के कर्तव्य** : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, सहमति, संचालन/नवीनीकरण की सहमति देते समय, निर्माताओं पर यह शर्त अधिरोपित करेगा कि संस्थापित करने की वे पुनर्चक्रण मूल्य और बाय–बैक प्राईस को, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पीईटी/पीईटीई बोतल और प्लास्टिक बैग पर, प्रमुखता से मुद्रित करे तथा इसका अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों और उद्योगों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

11. विनिर्माण स्तर पर विनिर्माताओं से पुनर्चक्रण शुल्क अधिरोपित करने और स्थानीय निकाय स्तर पर विक्रय बिंदु पर पुनर्चक्रण शुल्क के लिए, माल और सेवा कर, संचालनालय के परामर्श से और सशक्त समिति के अनुमोदन से, अलग–अलग आदेश जारी किया जायेगा ।

12. अनुग्रह अवधि.–इस नियम के अधीन निर्बंधन को लागू करने के लिए समय–सीमा निम्नानुसार है :

स. क्र.	हितधारक	लागू अवधि	
		गतिविधि	समय–सीमा
1.	विनिर्माता / उत्पादनकर्ता	प्रतिबंधित वस्तुओं का विनिर्माण एवं विक्रय	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से
		(एक) राज्य के बाहर विक्रय; या (दो) अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या उद्योग को विक्रय करते हुए प्रतिबंधित वस्तुओं के विद्यमान स्टॉक का निस्तारण।	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 1 (एक) माह
2.	दुकान और स्थापना / विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा व्यापारी / पथ विक्रेता	विक्रय पर प्रतिबंध	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से
		(एक) राज्य के बाहर विक्रय; या (दो) अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या उद्योग को विक्रय; या (तीन) वैज्ञानिक निस्तारण या पुनर्चक्रण के लिए स्थानीय निकाय को सौपते हुए, विद्यमान स्टॉक का निस्तारण बाय–बैक स्कीम के अंतर्गत जनित प्लास्टिक अपशिष्ट– (एक) अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता; या (दो) उसके लिए विकसित की गई ऐसे तंत्र को सौपते हुए	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 1 (एक) माह
3.	व्यक्ति / उपयोगकर्ता / मालिक / अधिभोगी	प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से
		(एक) वैज्ञानिक निस्तारण या पुनर्चक्रण के लिए स्थानीय निकाय को सौपते हुए; या (दो) अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या उद्योग को विक्रय करते हुए, वैयक्तिक उपयोगकर्ता के साथ प्लास्टिक की विद्यमान प्रतिबंधित वस्तुओं का निस्तारण	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 1 (एक) माह
4.	स्थानीय निकाय	पुनर्चक्रणकर्ता या उद्योगों के सह–प्रसंस्करण या वैज्ञानिक निस्तारण के लिए विद्यमान स्टॉक के प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं या प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन की व्यवस्था।	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 1 (एक) माह

13. धन की संग्रह / जुर्माना.– अधिनियम की धारा 10 के अधीन् एकत्रित कोई भी जुर्माना या अधिनियम की धारा 13 के अधीन किसी भी अपराध के प्रशमन के रूप में प्राप्त किसी भी राशि को, छत्तीसगढ़ राज्य (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग) के खाते में जमा किया जायेगा। इस प्रकार संग्रहित राशि का उपयोग, पर्यावरण के संरक्षण और विभिन्न पर्यावरण संबंधी कार्य योजनाओं के कियान्वयन के उद्देश्य के लिए किया जायेगा।

14. त्रैमासिक रिपोर्ट : इन नियमों के नियम 8 के तहत सशक्त कियान्वयन प्राधिकारी, राज्य सरकार को प्ररूप–क में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप–सचिव.

प्ररूप–क

(1) रिपोर्ट की अवधि : .....से ..... तक

(2) प्रर्वतन एजेंसी का नाम एवं पता :–

(3) पूर्वोक्त नियम के प्रवर्तन के प्रभारी अधिकारी का नाम :

(4) टेलीफोन/मोबाइल न. (कार्यालय) :

(5) ई–मेल आईडी :

(6) उल्लंघन के लिए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों की संख्या :

क्षेत्राधिकार	प्रशमन		तृतीय अपराध	न्यायालय में फाइल प्रकरणों की संख्या	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	संग्रहित जुर्मानें की राशि	टिप्पणियां
	प्रथम अपराध	द्वितीय अपराध					

उप– कुल योगः 1. .....

उप–कुल योग : 2. .....

महायोग.....

(एक) नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उठाये गये विशेष कदम का विवरणः–

(क)

(ख)

(दो) प्रथम बार अपराध करने वाले और द्वितीय बार अपराध करने वाले अपराधी की सूचीः–

(क)

(ख)

(तीन) प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आयोजित लोक जागरूकता कार्यक्रम का विवरण :–

(क)

(ख)

(चार) कोई अन्य सुसंगत जानकारी :

(रिपोर्टिंग प्राधिकारी का हस्ताक्षर)

अटल नगर, दिनांक 9 मई 2023

क्रमांक एफ 04–06/2021/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव–अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2023 संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09–05–2023 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 9th May 2023

NOTIFICATION

No. F 04-06/2021/32.— In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Chhattisgarh Plastic and Other Non-Biodegradable Material (Regulation of Use and Disposal) Act, 2020 (No. 7 of 2020) and in suppression of this Department's Notification No. F-05-88/2014/32, dated 27th September, 2017, the State Government, hereby, makes the following rules for the use, manufacture, sale, purchase, storage and distribution of the products made from plastic, thermocol etc., which generates non-biodegradable waste, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Plastic and Other Non-Biodegradable Material (Regulation of Use and Disposal) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Plastic and Other Non-Biodegradable Material (Regulation of Use and Disposal) Act, 2020 (No. 7 of 2020);

(b) **"Commodity"** means tangible items that may be brought or sold and includes all marketable goods or wares;

(c) **"Compostable Plastic"** means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding environmental petro-based plastic, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue, and which shall confirm to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time.

(d) **"Commodities made from Thermocol"** means any commodity or product made from Thermocol;

(e) **"Form"** means form attached with these rules;

(f) **"Multi-layered Packaging"** means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredient in combination with one or more layers of material such as paper, paperboard, polymeric materials, metalized layers or aluminum foil either in the form of laminate or co-extruded structure;

(g) **"Plastic"** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, poly styrene (thermacol), non-oven polypropylene, multi layered co extruder, poly propylene, poly terephthalate, poly amides, poly methyl methacrylate, plastic micro beads, etc;

(h) **"Plastic sheets"** means plastic sheet which made of plastic;

(i) **"Plastic Waste"** means any plastic discarded after use or after their intended use is over;

(j) **"Producer / Manufacturer"** means person engaged in manufacture or import of plastic bags or multilayered packaging or containers or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made up of plastic sheets or sheets or also manufacture products made from plastic or used plastic for packaging or wrapping the commodity;

(k) **"Plastic bags"** means bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities, with or without handle and also includes bags made from non-woven polypropylene and constitute or form an integral part of the packaging at manufacturing stage or is an integral part of manufacturing;

(l) **"PET and PETE bottles"** means bottles made up of polyethylene terephthalate (PET) and polyethylene terephthalate esters (PETE) used for packaging or storing liquid or semi liquid food, including water;

(m) **"Product"** means anything or object or item made from Plastic or Thermocol;

(n) **"Paper-Based Carton Packaging using one layer of plastic"** means a container for liquid and solid food and beverages (e.g. milk, juice, etc.), where the primary constituent material is paperboard and which may have one or more layer of plastic, foil necessary to allow safe and hygienic consumption;

(o) **"Recycling"** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing a new products.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

3. Ban on Plastic Products.- The State Government hereby imposes ban on the following items/activities in the State, namely:-

(a) Manufacture, usage, transport, distribution, wholesale and retail sale, storage and import of the Plastic Bags with handle and without handle;

(b) Manufacture, usage, transport, distribution, wholesale and retail sale, storage and import of disposable products manufactured from plastic and thermocol (polystyrene) such as single use disposable dish, cups, plates, glasses, fork, bowl, container, disposable dish/ bowl used for packaging food in hotels, spoon, straw, non-woven polypropylene bags, cups/pouches to store liquid, plastic packaging to wrap or store products, plastic packaging of food items and food grain material etc;

(c) Use of plastic and thermocol for decoration purpose including plastic flags;

(d) Use of plastic sachets for storing, packing or selling gutka, tobacco and pan masala; and

(e) Use of short-life PVC and chlorinated plastic, i.e, advertising and publicity materials like flexes, hoardings, banners, foam boards etc.

4. Ban on PET and PETE Bottles.- No person shall use, sell, store or manufacture PET or PETE bottles unless the following conditions are fulfilled, namely:-

(a) The PET or PETE bottle is made up of high quality food grade virgin Bisphenol-A free material;

(b) The PET or PETE bottle has predefined buy back price printed on it;

(c) The PET or PETE bottle manufacturers, producers, sellers and traders develops "Buy Back Depository Mechanism" under 'Extended Producers and Sellers/Traders Responsibility' with a predefined buy back price printed specifically on such PET or PETE bottles and sets up collection centers, reverse vending machines, crushing machines with linkages established with recycling units to collect and recycle such PET or PETE bottles within 3 (three) months from the date of publication of these rules at strategic places including malls, multiplexes, hotels, shops, tourist places, forts, public places;

(d) Traders/Sellers ensures buy-back of such used PET/ PETE bottles with predefined buy back price printed on such bottles;

(e) Liquid holding capacity of 1 (one) litre or more, shall be printed on the PET or PETE Bottles of drinking water along with the Deposit and Refund Price of Rs.1 or buy back price as decided by the Manufacturer. Liquid holding capacity of less than 1 (one) litre but more than 200 ml. shall be printed on the PET or PETE Bottles of drinking water along with the Deposit and Refund Price of Rs. 2 or buy back price as decided by the Manufacture;

Notwithstanding anything contained in this Rule, use, sale, storage and manufacture of drinking water PET or PETE bottles of having liquid holding capacity less than 200 ml. is banned in the State of Chhattisgarh;

(f) Bulk consumers of PET bottles such as hotels, marriage/ party halls, outdoor event locations, offices/institutions shall provide space for collection of plastic waste.

(g) PET Bottle industries to ensure that PET or PETE bottles are collected from retailers at depository and refund rate or buy back rate and are recycled.

5. Recyclable Multi-layer Packaging and Paper-Based Carton Packaging Material Using One Layer of Plastic.-

(a) As per Plastic Waste Management Rules, 2016 issued vide 18th March, 2016, by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, manufacture and use of non-recyclable multi-layered plastic if any, should be phased out in two year's time. Since, the two year's time is over, the Manufacturers should stop use of non-recyclable multi-layered plastic immediately.

(b) The manufacturer/brand owner/producer of recyclable 'Multi-layer Packaging' and 'Paper-Based Carton Packaging Material Using One Layer of Plastic' /Manufacturer's Association, shall diligently implement their Extended Producer's Responsibility (EPR) Plan which includes co-ordination / collaboration with existing Rag pickers / Scrap Traders, retailers for collection of plastic waste and its subsequent recycling and final disposal through their own established recycling plant or registered recyclers by establishing Producer's Responsible Organizations (PRO), which shall be responsible for 100% integral Plastic Waste Management right from collection to final disposal.

(c) Extended Producer's Responsibility (EPR) Plan of the manufacturer /brand owner/producer of 'Multi-layer Packaging' and 'Paper-Based Carton Packaging Material Using One Layer of Plastic' shall be reviewed after 3 (three) months from the date of issuance of these rules and on the basis of the outcome of review, further decision will be taken for regulation.

6. Applicability.- The restrictions imposed under these rules are applicable to every person, body of persons, Government and Non-Government Organization, Owners, Occupiers, Educational Institution, Sport Complex, clubs, cinema halls and theaters, marriage/celebration halls, industrial units, commercial institutions, offices, pilgrimage organizers, pilgrimages and religious places, hotels, dhabas, shopkeepers, malls, vendors or sellers, Shops and Establishments, traders, Street Vendors, Manufacturers, caterer, wholesalers, retailers, stockiest, businessmen, hawkers, salesmen, transporters, market, producers, stalls, tourist places, forest and reserved forest, mines, eco-sensitive areas, all public places, bus stands, railway stations, airports in the State of Chhattisgarh.

7. Exemption from the Ban.- Restrictions imposed under rule 3, 4 and 5 above shall not be apply to the following items, namely:-

(i) Plastic bags or plastic used for packaging of medicines, medical equipment's and medical products;

(ii) Compostable plastic bags or material used for plant nurseries, horticulture, agriculture, handling of solid waste. However, bags / sheets utilized for this purpose shall be prominently printed on it with "Use exclusively for this specific purpose only" and the manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling for this purpose;

(iii) Commodities made from Thermocol, which are strictly used as a building material in construction activities;

(iv) Manufacture of plastic and plastic bags for export purpose in the Special Economic Zone and export oriented units etc.;

(v) Bubble Plastic material used for wrapping the material at the manufacturing stage or is an integral part of manufacturing, provided the following conditions are fulfilled, namely:-

(a) Bubble plastic material shall be made up of minimum 20% recyclable plastic material;

(b) The bubble packaging material shall be printed with manufacturer's details, type of plastic with code number and buy back price;

(c) The Manufacturers/Manufacturer's association using bubble plastic material for packaging shall work together and create a buy-back mechanism and diligently implement their Extended Producer's Responsibility (EPR) Plan which includes co-ordination/collaboration with existing Rag Pickers/Scrap Traders, retailers for collection of bubble plastic waste and its subsequent recycling and final disposal through their own established recycling plant or registered recyclers by establishing Producer's responsible Organizations, which shall be responsible for 100% integral bubble plastic waste management from collection to final disposal.

(vi) Food grade virgin plastic bags of not less than 50 micron thickness used for packaging of milk, provided the following conditions are fulfilled, namely:-

(a) Buy back price (which should not be less than Rs.0.50) is clearly printed on such milk plastic bags;

(b) Proper mechanism for collection and recycling of such used bags is set-up by concerned milk dairies, retail sellers and traders within 3 (three) months from the date of publication of these rules. However, all efforts shall be made by the milk dairies and distributors to develop alternative system with glass bottles or any other environmental friendly material for distribution of milk;

(c) Milk dairies, retail sellers and traders buy-back such used milk bags with predefined buy back price printed on it.

(vii) Wholesalers and Retailers of groceries and grain products are allowed to sell groceries and grain products in sealed plastic packaging material, provided the following conditions are fulfilled, namely:-

(a) The plastic packaging material shall be more than 50 micron thickness with a minimum weight of 2 grams and the packaging material shall be printed with manufacturer's details, type of plastic with code number and buy-back price;

(b) Manufacturing associations for retail packaging material and retailer's associations shall work to create a mechanism for the collection of the plastic through a buy-back mechanism and ensure the recycling and final disposal of the collected plastic materials;

(c) The conditions mentioned above in (vii) (a) and (b) shall be complied for use and sale of plastic packaging material within a period of 3 (three) months from the date of issuance of these rules;

(d) The Manufacturers shall comply with the conditions mentioned at Section (vii) (a) and (b) from the date of issuance of these rules;

(e) Plastic Packaging material used for products intended for sale in the State of Chhattisgarh through E-Commerce shall be allowed only for 3 (three) months, however, they shall develop Environmental-Friendly Alternative for packaging of materials within 3 (three) months. They shall create a mechanism for the collection of the plastic packaging material used during 3 (three) months and ensure the recycling and final disposal.

8. Competent Authority/Designated Officers.- The following Officers are authorized and empowered for the enforcement of these rules and to take such actions or exercise such powers as prescribed under Section 8 (Removal), Section 9 (Search and Seizure) and Section 13 (Compounding) of the Chhattisgarh Plastic and Other Non-Biodegradable Material (Regulation of Use and Disposal) Act, 2020 (No. 7 of 2020), as per their jurisdiction, namely:-

(a) Municipal Commissioners, Deputy Municipal Commissioners, Shops and Establishment Officers and Inspectors, Sanitary Inspector, Health Inspector, Health Officer, Ward Officers or any other Officer nominated by the Municipal Commissioner as well as Chief Officers of all Municipal Councils and any other Officer nominated by the Chief Officer are authorized to implement the provisions of the said Rules in their respective jurisdiction;

(b) District Collector, Deputy Collector, Sub-Divisional Officer, Tahsildar and any other officer nominated by Collector, are authorized to implement the provisions of the said Rules in their respective jurisdiction;

(c) Chief Executive Officer, Zila Parishad, Block Development Officer, Health Officer, Development Officer, District Education Officer, Block Education Officer and Gram Sevak are authorized to implement the provisions of the said Rules in their respective jurisdiction;

(d) Chairman, Member-Secretary, Regional Officers and Class-I and Class –II Scientists, Chemists and Engineers of Chhattisgarh Environment Conservation Board;

(e) Joint Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh;

(f) Director, Health Services; Deputy Director, Health Services, Chief Medical Officers, Health Officers;

(g) Director, Primary and Secondary Education Board;

(h) Police Inspector, Police Sub-Inspector, Motor Vehicle Inspector, Traffic Police, Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board or any other officer authorized by Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board;

(i) Deputy Commissioner (Supply), District Supply Officer;

(j) Commissioner State Tax and all State Tax Officers;

(k) All District Excise Officers, Excise Department;

(l) Range Forest Officer or any other officer authorized by Deputy Conservator of Forest;

(m) Any officers nominated by the Railway and Airport Authorities.

9. Registration of Offence.-

(a) For implementation of these rules, the person at village or city level, interested persons, group of people, welfare organizations, industrial association and members of all local bodies etc. shall register any offence with the concerned Competent Authority/ Designated Officers, notified in these rules for this purpose;

(b) The said registered person, group of people, welfare organizations, and industrial association shall help the officers authorized under these rules, for providing information of violation of these Rules and assist such officers to impose fine, confiscate the material made from plastic and thermocol and assist in registering the offence.

10. Duties of Chhattisgarh Environment Conservation Board.- Chhattisgarh Environment Conservation Board shall impose the condition on manufacturers indicating that recycling price and buy back price should be prominently printed on PET / PETE bottles and plastic bags permissible under these Rules while issuing consent to establish, consent to operate/ renewal and take necessary actions against non-complying units or industries.

11. Separate order for levying recycling fees from manufacturers at manufacturing stage and recycling fees at selling point at local body level will be issued in consultation with Directorate of Goods and Services Taxes and with approval of the Empowered Committee.

12. Grace Period.- Time frame for implementation of the restrictions under these rules are as under :-

Sr. No.	Stake Holder	Implementation Period	
		Activity	Time Frame
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manufacturer/ Producer	Manufacturing and sale of banned items.	From the date of publication of these rules.
		Disposal of existing stock of banned items by (i) Sale outside the State, or (ii) Sale to authorize recycler or industry.	1 (one) month from the date of publication of these rules.
2.	Shops and Establishments/ Sellers, Retailers and Traders / Street Vendors	Ban on Sale	From date of publication of these rules
		Disposal of Existing Stock by (i) Sale Outside the State; or (ii) Sale to authorized recycler; or industry, (iii) handing over to local Body for Scientific disposal or recycling. Plastic waste generated under buy back scheme by handing over to (i) authorized recyclers; or (ii) such mechanism developed for the same.	1 (one) month from the date of publication of these rules
3.	Individuals / Users/ Owner / Occupier	Use of banned items	From the date of publication of these rules
		Disposal of existing plastic banned items with the individual users by (i) handing over to local body for Scientific disposal or recycling; or (ii) sale to authorized recycler or industry.	1 (one) month from the date of publication of these rules.
4.	Local Body	To arrange the collection and transportation of banned plastic items or plastic waste of existing stock for recyclers or for co-processing by industries or for scientific disposal.	1 (one) month from the date of publication of these rules.

13. Collection of money/ fine.- Any penalty collected under Section 10 of the Act or any amount received by way of compounding any offence under Section 13 of the Act shall be credited to the account of State of Chhattisgarh (Department of Urban Administration and Development) and the amount so collected shall be used for the purpose of environment restoration and implementation of various environment related action plans.

14. Quarterly report.- Implementing Authorities empowered under rule 8 of these rules shall submit quarterly report in the Form-A to the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.TIRKEY, Deputy Secretary.

FORM-A

(1) Period of Report:- From _____to_____

(2) Name and Address of Enforcing Agency:-

(3) Name of the Officers In-charge of enforcement of the aforesaid Rules:

(4) Telephone/Cell No.(Office) :-

(5) E-Mail ID:

(6) Number of cases registered in the jurisdiction for violation:-

Jurisdiction	Compounding		Third Offence	Number of Cases filed in the Court	Number of cases sub-Judice	Amount of fine collected	Remarks
	First Offence	Second Offence					

Sub-Total : 1. ----------

Sub-Total : 2. ----------

Grand Total _____

(i) Details of special drives undertaken for effective implementation of the rules:-

(a)

(b)

(ii) List of first time offenders and second time offenders:-

(a)

(b)

(iii) Details of public awareness programs conducted by Enforcing Agency in their jurisdiction:-

(a)

(b)

(iv) Any other relevant information:-

(Signature of the Reporting Authority)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.